सत्यमेव जयते

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग


सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : **secy-uic@gov.in** वेब: http://uic.gov.in


पत्रांक /उ0सू0आ0/2020–21 दिनांक

## कार्यालय आदेश

कोविड – 19 के संक्रमण के दृष्टिगत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई निम्नानुसार सम्पादित की जाएगा –

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई दिनांक 22.05.2020 से ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से की जाएगी। लिखित अभिकथन के आधार पर सुनवाई हेतु इच्छुक अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता अपना सहमति पत्र आयोग को ईमेल/फैक्स/डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। उभयपक्ष सुनवाई से पूर्व अपना लिखित पक्ष आयोग को ईमेल/फैक्स/डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते है।

2. ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हेतु अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को अपना मो0नं0, ई0मेल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

3. दोनों पक्षों के दूरभाष नम्बर/ई0मेल आई0डी0 अथवा लिखित अभिकथन के आधार पर सुनवाई की सहमति का पत्र आयोग को प्राप्त होने पर द्वितीय अपील/शिकायत को सुनवाई का नोटिस/ अथवा सुनवाई का पत्र मैसेज/ई0मेल अथवा डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

4. आयोग में पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित रहेगी।

ह0/–
(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक 2642 /उ0सू0आ0/2020–21 दिनांक 19 मई, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजभवन, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों की अध्यतन सूची जिसमें उनके नाम, मो0नं0, दूरभाष न0, ईमेल आई0डी0 का अवश्य उल्लेख हो, का विवरण ई0मेल के माध्यम से यथाशीघ्र आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त व मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों के अवलोकनार्थ।
8. समस्त स्टाफ, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

(बंशी लाल राणा) 19/5/2020
प्रभारी सचिव

सत्यमेव जयते

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : **secy-uic@gov.in** वैब: **http://uic.gov.in**

पत्रांक 2642/उ0सू0आ0/2020–21 दिनांक 18 मई, 2020

## प्रेस नोट

कोविड – 19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन घोषित किये जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दिनांक 23.03.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई नहीं की जा रही है। मा0 आयोग के द्वारा प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई दिनांक 22.05.2020 से ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हेतु अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को अपना मो0न0, ई0मेल आयोग को डाक द्वारा अथवा दूरभाष न0 0135– 2675779, 2675780 या आयोग की ईमेल– **secy-uic@gov.in** पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। अपीलकर्ता/शिकायकर्ता चाहें तो अपना लिखित अभिकथन भी डाक/दूरभाष/ईमेल से आयोग को प्रेषित कर सकते हैं। यदि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता अपने लिखित अभिकथन के आधार पर द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई हेतु सहमत हैं, तो वे अपना सहमति पत्र आयोग को डाक/ईमेल/फेक्स के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं।

कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई ऑडियो/वीडियो के माध्यम से सुचारू रूप से की जा सकें इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों से भी विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों की अद्यतन सूची जिसमें लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पत्राचार का पता के साथ–साथ संपर्क हेतु दूरभाष/मो0न0 तथा ई0मेल आई0डी0 का विवरण भी आवश्यक रूप से आयोग को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) N0(S).3/2020 पर दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड – 19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थिति तथा याचिकाकर्ताओं को होने वाली दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (सपठित अनुच्छेद 141) की शक्तियों को प्रयोग करते हुए समस्त General Laws तथा समस्त Special Laws में प्राविधानित limitation period को दिनांक 15 मार्च, 2020 से अग्रिम आदेशों तक बढाया गया है। यह आदेश समस्त न्यायालय, ट्रिब्यूनल, न्यायिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी है। इस परिपेक्ष्य में समस्त अनुरोधकताओं/अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए अपेक्षित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत होने वाली समस्त कार्यवाहियों पर भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त समयावधि की छूट लागू होगी।

(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव

पत्रांक /उ0सू0आ0/2020–21 दिनांक मई, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त प्रेस नोट को जनसामान्य में प्रचार–प्रसार हेतु प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. समस्त लोक प्राधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों के अवलोकनार्थ।

(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव